

डिकी

(आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)कुम्भलगढ जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी का नाम -श्री उपेन्द्र कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

वाद संख्या 89/2023 वाद

अनवान्

- 1-नानाराम पिता माईगराम भील निवासी ओडा तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द
- 2-गल्लाबाई पुत्री माईगराम पति खुशालराम भील निवासी केसर तहसील कुम्भलगढ
जिला राजसमन्दवादीगण

बनाम

- 1-पुनमचन्द पिता वालाराम भील निवासी ओडा तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द
- 2-नन्दलाल पिता वालाराम भील निवासी ओडा तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द
- 3-भगलीबाई पत्नि वालाराम भील निवासी ओडा तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द
- 4-बन्ना पुत्र भोलू भील निवासी 32 खारोल,ताज पुरा,भगवानपुरा,अजमेर जिला अजमेर
- 5-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कुम्भलगढप्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मे इस आशय मे दिनांक 12-06-2024 को हमारे न्यायालय के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिकी दी जाती है कि ग्राम ओडा पटवार मण्डल ओडा तहसील कुम्भलगढ के आराजी नंबर 3951,4220,4221,4222,4223,4224,4225,4226,4227 के खातेदार प्रतिवादी संख्या 1,2,3 का नाम विलोपित किये जाने का आदेश दिया जाता है व आराजी नंबर 6034/1 के खातेदार प्रतिवादी संख्या 4 का नाम विलोपित किये जाने का आदेश दिया जाता है साथ ही ग्राम ओडा पटवार मण्डल ओडा के आराजी नंबर 3951,4220,4221,4222,4223,4224,4225,4226,4227 व आराजी नंबर 6034/1के मूल खातेदार माईग पिता तुलछा भील सा.देह के वारिसान वादीगण को खातेदार घोषित किये जाते है व इनके नाम पर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज करने की घोषणा की जाती है । तहसीलदार कुम्भलगढ को डिकी की प्रमाणित प्रति पालना हेतु भेजी जावे । तहसीलदार कुम्भलगढ एक माह मे पालना करा पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवावे ।

यह अन्तिम डिकी आज दिनांक 12-06-2024 को मेरे कक्ष पर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई ।



सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ
जिला-राजसमन्द